Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 17/09/2022

Certificate No. H0Q2022I315

GRN No. 94534255

Stamp Duty Paid : ₹ 14400
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

7815
22/09/22

Seller / First Party Detail

Name: Rajiv kumar
H.No/Floor :- Na
Sector/Ward : Na
LandMark : Na
City/Village : Satrod khurd
District : Hisar
State : Haryana
Phone: 97******52
Others : Rakesh kumar

Buyer / Second Party Detail

Name : Neetu
H.No/Floor : Na
Sector/Ward : Na
LandMark : Na
City/Village: Satrod khurd
District : Hisar
State : Haryana
Phone : 97******52

Purpose : LEASE DEED

REGISTRAR SUB

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

पट्टानामा बराये अवधि 33 साल बातकर्र मुबलिग 1,20,000/–रूपये सालाना लगान

स्टाम्प = 14,400/–रूपये

बाबत अराजी बारकबा 11 कनाल 5 मरले, वाक्या मौजा सातरोड़ खास तहसील व जिला हिसार।

फीस रजिस्टरी मुबलिग 1,000/–रूपये बजरिया चालान दिनांक 22–09–2022 की रूह से एस0.बी0.आई0. हिसार में जमा हो चुकी है।

ई–स्टाम्प मुबलिग 14,400/–रूपये बजरिया सर्टिफिकेट नं0. H0Q2022I315, GRN No. 94534255 दिनांक 17–09–2022

\- - - - - - - - - - - - -

हम, (1) राजीव कुमार (आधार नं0. 5290 3440 5915) – (2) राकेश कुमार (आधार नं0. 9639 7321 9944) पुत्रान श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र समभाग निवासीगण सातरोड़ खुर्द तहसील व जिला हिसार। ....फरीक अव्वल/पट्टा देहिन्दगान

श्रीमती नीतू धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद निवासी सातरोड़ खुर्द तहसील व जिला हिसार। .....फरीक दोयम/पट्टा ग्रेहिन्दा

Rajiv kumar
Rakesh kumar

प्रलेख क्र.:7815 मुद्रण दिनांक 22/09/2022 06:01 PM पंजीकरण दिनांक:22-09-2022

वसीका संबंधी विवरण

वसीका का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील- हिसार | गांव/शहर- सातरोड खास | स्थित- 2 एकड दुरी

शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के अन्दर | अन्य क्षेत्र

पता : सातरोड खास

धन संबंधी विवरण

राशि- 120000 रुपये | कुल स्टाम्प शुल्क- 14400 रुपये

स्टाम्प नं- H0Q2022I315 | स्टाम्प का मूल्य- 14400 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस- 1000 रुपये | EChallan:94658984 | पेस्टिंग शुल्क- 3 रुपये

द्वारा तैयार किया गया- कुलदीप यादव वकील | सेवा शुल्क- 200

भवन का विवरण

कृषि नहरी | 11 Kanal 5 Marla

यह प्रलेख आज दिनांक 22-09-2022 दिन गुरूवार समय 6:01:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी राकेश कुमार पुत्र दूर्गा प्रसाद राजीव पुत्र दूर्गा प्रसाद निवास द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
राकेश कुमार राजीव

Rajiv Kumar Rakesh Kumar

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (हिसार)

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एंव ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है |

दिनांक 22-09-2022

Rajiv Kumar Rakesh Kumar

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
(हिसार)

राकेश कुमार राजीव

उपरोक्त पटटा लेने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी नीतू पत्नी राजीव कुमार हाजिर है | प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया | प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा लेने वाला ने मेरे समक्ष पटटा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया | दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी प्रवीन चौधरी वकील पिता --- निवासी हिसार व श्री/श्रीमती/कुमारी हरीप्रकाश पिता --- निवासी सातरोड ने की |

साक्षी सं. 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी सं. 2 की पहचान करता है |

दिनांक 22-09-2022

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
(हिसार)

जो कि फरीक अव्वल की अराजी खेवट नं0. 280//245, खाता नं0. 396, खसरा नं0. 140//17/2(3–18), 18/1(4–12), 18/2(1–17), 24/1(0–18) बारकबा 11 कनाल 5 मरले, वाक्या मौजा सातरोड़ खास तहसील व जिला हिसार अनुसार जमाबन्दी साल 2018–2019 मलकियती व मकबूजियती फरीक अव्वल होती है। जो हर प्रकार के बन्धन से पाक व मुक्त है। अब फरीक अव्वल ने बहालत होश व हवास स्वस्थचित प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी उजर व दबाव के उपरोक्त अराजी सालम बारकबा 11 कनाल 5 मरले, नम्बरान खसरा मजकूराबाला, मय जुमला हक हकूक हर किस्म रास्ता आदि बराये अवधि 33 साल अज दिनांक 21–09–2022 ता 20–09–2055 तक बातकर्र मुबलिग 1,20,000/–रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये) सालाना लगान बाहक **श्रीमती नीतू** (आधार नं0. 9499 0863 1769) **धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद निवासी सातरोड़ खुर्द तहसील व जिला हिसार** को पट्टा पर दे दी है। जिसकी शरायत निम्नलिखित करार पाई है :–

1. यह कि उपरोक्त अराजी का कब्जा मौका पर पट्टेदार को दे दिया है और पट्टेदार ने कब्जा कर लिया है।

2. यह कि पहले साल का लगान घर पर नकद वसूल पा लिया है और आगे का लगान साल बसाल फरीक दोयम फरीक अव्वल को अदा करती रहेगी और रसीद लेती रहेगी और बिना रसीद कोई वसूलयाबी तसलीम ना होगी। इस प्रकार यह पट्टा बराये अवधि 33 साल बाहक फरीक दोयम जारी रहेगा और किसी भी सूरत में पट्टा मनसुख ना होगा। उक्त रकबा पर पट्टा गेहिन्दा पैट्रोल पम्प स्थापित करेगी और आफिस बनावे, मशीन लगाये, 'गोदाम बनाये, चारदिवारी बनाये व अन्य जिस भी प्रकार चाहे अराजी बाला को प्रयोग करे, फरीक अव्वल मालकान को कोई ऐतराज नही होगा। बिजली बिल, पानी बिल, कुल कर सरकार इत्यादि की तमाम जिम्मेवीर फरीक दोयम की होगी। बाद मियाद अवधि पट्टा दोनो फरीकैन की सहमति से आगे अवधि बढाई जा सकेगी अन्यथा वापिस भूमि खाली खाली करके हवाले फरीक अव्वल कर दी जायेगी। इस पट्टा नामा की चलत मियाद में कोई कुदरती नुक्सातन जैसे कि ओलावृष्टि, आगजनी व बाढ़ आदि से हुआ तो उस सूरत में जो भी मुआवजा सरकार देगी उस पर पट्टेदार का अधिकार होगा।

3. यह कि पट्टेदार उपरोक्त अराजी पर किसी किस्म की कोई कनस्ट्रक्शन अर्थात चारदिवारी, पैट्रोल पम्प से मुतलिक व व्यवसायिक हर प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र रहेगी और हर किस्म के कनैक्शन आदि ले सकेगी व सिक्योरिटी दाखिल करे, वापिस लेवे व बिल बिजली व पानी आदि पट्टेदार स्वंय अदा करेगी जो मुकर्रा लगान से अलहैदा होगा। पट्टेदार पैट्रोल पम्प व मशीनरी आदि का बीमा करवावे।

Rajiv Kumar
Rajeshkumar

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
7815	2022-2023	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला :- राकेश कुमार राजीव ____ Rajiv Kumar

पटटा लेने वाला :- नीतू ____ Neetu

गवाह 1 :- प्रवीन चौधरी वकील ____

गवाह 2 :- हरीप्रकाश ____ Hari Parkash

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 7815 आज दिनांक 22-09-2022 को बही नं 1 जिल्द नं 12817 के पृष्ठ नं 153.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 157 के पृष्ठ संख्या 61 से 62 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 22-09-2022

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(हिसार)

4. यह कि जिला नगर योजनाकार विभाग से सी0एल0यू0 लेने में हमें कोई ऐतराज नही होगा। पट्टाग्रेहिन्दा उक्त अराजी में पैट्रोल पम्प किसी भी कम्पनी का लगा सकेगी, इससे सम्बन्धित निर्माण कर सकेगी, जमीन में तेल टैंक लगवा सकेगी, उक्त अराजी में बिजली का सगिल या थ्री फेस कनैक्शन ले सकेगी, पानी, टेलीफोन कनैक्शन ले सकेगी, मशीनरी लगा सकेगी, हर सम्बन्धित विभाग से हर तरह की एन0ओ0सी0 ले सकेगी, पैट्रोल पम्प चला सकेगी इससे हमें कोई एतराज ना होगा। पट्टा ग्रेहिन्दा हर सम्बन्धित महकमा से एन0ओ0सी0 ले सकेगी।

5. यह कि पट्टेदार पैट्रोल पम्प पर किसी भी सरकारी व गैर सरकारी विभाग या सोसायटी या बैंक से कर्जा/लोन ले सकेगी और उसके इवज में उपरोक्त पैट्रोल पम्प को तामियाद प्लज करवा सकेगी। इस प्रकार पट्टा तामियाद नसलन बाद नसलन जारी रहेगा और किसी भी सूरत में मनसुख ना होगा। बाद मियाद पट्टेदार अपना मलबा कब्जा उठाकर उक्त अराजी का कब्जा मालकान को देने की जिम्मेवार होगी। मालिक तामियाद किसी प्रकार की कोई खलल अन्दाजी ना कर सकेगें।

6. यह कि इन्तकाल दर्ज व तसदीक करवा देगें वरना पट्टानामा से हो जावेगा। नुक्स मलकियत व सुकम कानुनी की हर प्रकार की मन मिकरान की जिम्मेवारी होगी। वारसान फरीकैन पाबन्द शरायत बाला के होंगें।

अतः पट्टानामा लिख दिया कि सनद रहे, समय जरूरत काम आवे, मजमून फरीकैन की हिदायत के मुताबिक बोलकर टाईप करवाया गया जो फरीकैन ने सुन व समझकर सही माना बमकाम हिसार दिनांक 22–09–2022

DRAFTED BY
[signature]
Kuldeep Yadav
Advocate, HISAR

[signature] Rajiv Kumar | Neetu | Hari Parkash

गवाह	फरीक अव्वल राजीव कुमार व राकेश कुमार	फरीक दोयम पट्टेदार श्रीमती नीतू	गवाह

[signature] Rakesh Kumar